छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)
जीवन बीमा निगम व्यवसायिक परिसर, (भू–तल एवं द्वितीय तल) पण्डरी, रायपुर, छत्तीसगढ़– 492004
दूरभाष कमांक–2583789–90, फैक्सः 0771–2583794
Website: www.csidc.in,email address:csidc_raipur@yahoo.com,csidc@csidc.in

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक – 07/तक–3/2010–11/ रायपुर दिनांक 26/08/2010

सीएसआईडीसी द्वारा मुहरबंद निविदायें फार्म ''ए'' (प्रतिशत दर) निम्नलिखित कार्यों हेतु इस निगम में कार्य के सामने दर्शित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों एवं प्रभावशील अनुसूची दर के आधार पर दिनांक 24 /09/2010 अपरान्ह 3.00 बजे तक सी.एस.आई.डी.सी., तकनीकी कक्ष – 3 पंडरी, कार्यालय में आमंत्रित की जाती है । प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी ।

स. क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि रू.	निविदा प्रपत्र मूल्य रू.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	अनुसूची दर
1.	औद्योगिक क्षेत्र बोड़ेगांव जिला दुर्ग में 80' चौड़ी सड़क डामरीकरण सहित, आर.आर. मेशनरी पक्का सतही नाली निर्माण एवं 3 नग आर.सी.सी कल्वर्ट का निर्माण कार्य ।	107.76 लाख	81000/–	3000/–	8 माह	अ–4 एवं इससे ऊपर	रोड वर्क हेतु 01/04/2010 से बिल्डिंग वर्क हेतु 01/06/2009 से ब्रिज वर्क हेतु 01/04/2009से प्रभावशील प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग रायपुर एस.ओ.आर. एव अब तक संशोधित
2.	औद्योगिक क्षेत्र बोड़ेगांव जिला दुर्ग में 100 mm डी.आई. पाईप एवं फिटिंग प्रदाय कर बिछाने का कार्य।	07.79 लाख	6000/–	750/–	3 माह	अ–1 एवं इससे ऊपर	18/09/2002 से प्रभावशील प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल एस.ओ.आर. एव अब तक संशोधित
3.	औद्योगिक क्षेत्र बोड़ेगांव जिला दुर्ग मे 2 नग नल कूप खनन एवं 2 नग पंप हाउस का निर्माण कार्य ।	3.72 लाख	4000/–	750/–	3 माह	ब एवं इससे ऊपर	बिल्डिंग वर्क हेतु 01/06/2009 से प्रभावशील प्रमंख अभियंता ,लोक निर्माण विभाग रायपुर एस.ओ.आर. एव अब तक संशोधित

शर्ते :–

(1) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में कार्यपालन अभियंता तक. – 3 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद भुगतान कर दिनांक 23/09/2010 को अपरान्ह 2.00 बजे तक मुख्यालय, पंडरी, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(2) निविदा आवेदन के साथ समान प्रकृति के कार्य का 50 प्रतिशत एक ही अनुबंध में विगत 3 वर्षो मे तथा निर्धारित अनुबंधित समयावधि (समयवृद्धि को छोड़कर) में पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हेा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) निविदा आवेदन के साथ वाणिज्यिक कर चुकता प्रमाण–पत्र एवं जीवित पंजीयन एवं जीवित सालवेंसी एवं टर्न ओव्हर आय कर विक्रय कर पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(4) स. क. 1 में उल्लेखित कार्य हेतु कार्य पूर्ण करने की अवधि से 3 वर्ष (36 माह) तक संपादित कार्य का संधारण तथा मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से किया जाना है।जिसके लिये कार्य की संपूर्ण लागत की 5% राशि Performance Guarantee के रूप में रोकी जावेगी तथा वह राशि 3 वर्ष तक सफलता पूर्वक आवश्यक संधारण तथा मरम्मत कार्य पूर्ण किये जाने पर ही विमुक्त की जावेगी, एवं स.क. 2,3 मे उल्लेखित कार्यो की राशि 1 वर्ष पश्चात विमुक्त की जावेगी ।

(5) कार्य एम.ओ.एस.टी. स्पेसिफिकेशन एवं शर्तो के अनुसार ही संपादित करना होगा।

(6) स.क्र. 1 हेतु निविदा आमंत्रण के साथ कार्य के लिए व्हाइब्रेटरी रोड रोलर, हॉटमिक्स प्लांट एवं मेकेनिकल पेवर फिनिसर का स्वामित्व/किराया का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7) अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का डिमांड ड्राफ्ट, समयावधि जमा रसीद जो कि प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी रायपुर के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफें में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(8) कार्य में उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का रायल्टी चुकता प्रमाण–पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा ।

(9) निविदा स्वीकृति उपरांत संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से प्राप्त कार्य का पंजीयन कराने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किया जावेगा साथ ही भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (construction work) पर 1% उपकर (सेस) देय होगा। देयकों के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी।

(10) स.क्र. 1 एवं 3 के कार्यो के लिये कामन दर (एक ही दर) निविदा में अंकित करें।

(11) नॉन एस.ओ.आर. आयटम हेतु पृथक से दर देनी होगी।

(12) कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा ।

प्र. कार्यपालन अभियंता
(तक–3)